UPAZ010002482026

Presented on : 12–01–2026
Registered on : 12–01–2026
Decided on : 06–02–2026
Duration : 0 years, 0 months, 25 days

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार नि० अधि०)
विशेष न्यायालय संख्या–01, आजमगढ़।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–137/2026

01–संजय कुमार उम्र लगभग 27 वर्ष ,
02–शिव कुमार उम्र लगभग 22 वर्ष,
पुत्रगण विक्रम कुमार साकिनानः– अभयपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
.....**आवेदकगण/अभियुक्तगण।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....**विपक्षी/अभियोगी।**

दिनांक–06.02.2026

1. प्रस्तुत **प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र** आवेदकगण/अभियुक्तगण **संजय कुमार व शिव कुमार** की तरफ से मु०अ०सं०**–432/2025** अंतर्गत **धारा–109, 333, 352, 351(3), बी.एन.एस.** थाना–**अहरौला** जनपद **आजमगढ़** के प्रकरण में जमानत प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक–01.09.2026 से जेल में निरुद्ध है।
2. जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में **सिरमत्ती** द्वारा शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्य उसकी निजी जानकारी में सही व सच हैं।
3. **संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि**"प्रार्थी राहुल राजभर पुत्र श्री राम सकल राजभर नि० अभयपुर पो० खजुरी (गौरी) तहसील बूढ़नपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ का निवासी हूँ। मैं हरियाणा पर रहकर काम धाम करता हूँ। मेरे घर पर मेरी माता रजौता, भाई रजनीश राजभर, छोटी बहन नेहा मौजूद थे मेरे घर के सामने संजय कुमार पुत्र श्री विक्रम कुमार, शिव कुमार पुत्र विक्रम व अन्य अज्ञात निवासीगढ ग्राम अभयपुर पो० खजुरी (गौरी) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने एकजुट होकर गाली गलौज व जान माल की धमकी देते हुए आये और घर मे घुस कर धारदार हथियार लाठी, डण्डा, कुल्हाड़ी से जान से मारने के नियत से मारे जिससे मेरी माता रजौता देवी, भाई रजनीश को काफी गम्भीर चोटें आयीं तथा मेरी छोटी बहन नेहा को भी चोटें आयी सोरगुल करने पर आस पास के लोगों को आता देख विपक्षीगढ़ मौके से फरार हो गये। तब मेरा भांजा राजन उम्र 14 वर्ष ने 108 नम्बर एम्बुलेंस को फोन किता तो गाड़ी आयी एम्बुलेंस से CHC अहरौला ले गये. वहा के डाक्टरों ने जिला अस्पताल आजमगढ़ के लिए रिफर कर दिया जिला अस्पताल मे X–Rey व CTscan टांका लगाया गया। वहां के डाक्टरो ने एक दिन बाद और ज्यादा हालत गम्भीर होने पर सदर अस्पताल के डाक्टर साहब ने हायर सेण्टर के लिए रिफर कर दिया जोकि मैं अपने मर्जी से आनन्द अस्पताल मुकेरीगंज आजमगढ़ में इलाज चल रहा है। घटना दिनांक –08.12.2025 समय करीब रात्रि 11.00 बजे की है। मैं और मेरे पिता रामसकल घटना के समय हरियाणा में

Digitally signed by Ajay Kumar Shahi
Date: 2026.02.06 16:05:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

थे। घटना के समय घर पर अन्य कोई सदस्य मौजूद नहीं था। इसी कारण प्रार्थनापत्र नहीं दे पाया था। श्रीमान् जी से निवेदन है कि आवश्यक एवं उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।"

4. **आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि**"प्रार्थीगण निर्दोष है। प्रार्थीगण द्वारा कथित अपराध कारित नहीं किया गया है बल्कि प्रार्थीगण गाँव की व जातिगत रंजिश वश अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी संजय कुमार दिनांक 08.12.2025 को रात्रि करीब 11:00 बजे बैकरी की फैक्ट्री से काम करके अपने घर आ रहा था। प्रार्थी के मकान से 400 मीटर पहले ही गाँव के चौराहे के पास रास्ते के बगल में ही वादी मुकदमा का मकान स्थित है। प्रार्थी संजय कुमार वादी मुकदमा के मकान के पास जैसे पहुचा कि तभी रजौता व रजनीश, संजय कुमार को आवाज देकर रोक लेते है और प्रार्थी संजय के पास पहुंचकर अपने हॉथ में लाठी लिये रजौता व बेत लिये रजनीश व इनके अन्य सहयोगी ने चमारिया साले आदि की गाली गुप्ता देते हुये कि इधर क्यो आते जाते हो कहते हुये जानलेवा हमला कर देते है। जिससे प्रार्थी संजय कुमार का बॉया हॉथ फैक्चर होता है। और संजय अपनी जान बचाने के लिये चिल्लाने लगता है और अपने भाई शिवकुमार को फोन करके बुलाता है। जब प्रार्थी का भाई शिवकुमार संजय के पास पहुंचता है, तभी उपरोक्त लोगों के द्वारा उसके उपर भी हमला कर दिया जाता है। तथा मार पीट कर घायल कर दिया जाता है। प्रार्थीगण का घायल अवस्था में पी०जी०आई० अतरौलिया में दवा ईलाज होता है, तथा डाक्टर द्वारा गम्भीर हालत को देखकर मण्डलीय चिकित्सालय रेफर कर देते है। जहाँ पर दवा ईलाज चलता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारदार हथियार या कुल्हाडी से मारा जाना कहा जाता है जो निराधार है। वादी मुकदमा द्वारा अपराध की गम्भीरता को बढाने के लिये प्रार्थना पत्र बढ़ा चढाकर लिख दिया जाता है। और कथित घटना में प्रयुक्त न तो धारदार हथियार बरामद है और न ही कुल्हाडी बरामद है। कथित घायल रजौता व रजनीश के शरीर पर कोई ऐसी प्राणघातक चोट नहीं आयी है, कि जिससे मृत्यु कारित हो जाय, और न ही मृत्यु कारित करने के इरादे से कोई चोट ऐसी पहुंचाई गयी है। घायल रजौता के एक्स–रे व सिटी स्कैन से स्पष्ट है कि घायल रजौता के शरीर पर कोई भी धारदार हथियार व कुल्हाडी से चोटो का आना परिलक्षित नही होता है। न ही कोई प्राणघातक चोटे आयी है। जिस आधार पर धारा 109 बी०एन०एस० आयत नही होती है। प्रार्थीगण दिनांक 01.09.2026 से जिला मण्डल कारागार आजमगढ में निरूद्ध है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थीगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं प्रार्थीगण श्रीमान द्वारा प्रदत्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगे और न ही गवाहो को प्रभावित करेंगे तथा विचारण में सहयोग करेंगे। उपरोक्त आधरो पर प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को उचित जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करे।"

5. **विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण प्रकरण में नामजद अभियुक्त हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के घर में घुसकर उसके पारिवारिक सदस्यों को गुप्ता–गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी, डण्डा व कुल्हाड़ी से जान से मारने की नियत से बुरी तरह से मारा–पीटा गया है, जिससे उन लोगों को गम्भीर चोटें आयी हैं। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा आजीवन कारावास तक से दंडनीय है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।.

6. जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों/ पत्रावली का परिशीलन किया

7. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि आवेदकगण /अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त है। आवेदकगण /अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा के घर में घुसकर उसके पारिवारिक सदस्यों को गाली–गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी, डण्डा व कुल्हाड़ी से जान से मारने की नियत से बुरी तरह से मारने–पीटने का आक्षेप है।

8. केस डायरी में मजरूबों की आघात आख्या संलग्न है। मजरूबा रजौता के सी .टी स्कैन रिपोर्ट रिपोर्ट में '"Liner Facture seen in left frontal parietal bone of skull" अंकित किया गया है। उक्त चोट मजरूब के सिर पर आई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण द्वारा सिर को लक्षित करके उक्त चोटें पहुंचायी गयी हैं। उल्लेखनीय है कि सिर एक नाजुक अंग है। अगर बार–बार सिर को लक्षित करके चोटें पहुंचायी जाये तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अभियुक्त द्वारा यह ज्ञान रखते हुए कि इस कार्य से उसकी मृत्यु होने की संभावना है, माना जायेगा। अभियुक्तगण द्वारा अन्य चोटहिलों को भी शरीर के मर्मभाग पर चोटें पहुंचायी गयी हैं। इसके अतिरिक्त मजरूब के चोट की फोटोप्रति केस डायरी के साथ संलग्न है , जोकि केस डायरी का पार्ट है।

9. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना में प्रार्थी के पक्ष को भी चोटें आयी हैं, जिसके समर्थन में आघात आख्या भी प्रस्तुत की गयी है तथा यह भी कथन उनके द्वारा न्यायालय श्रीमान् विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी) ऐक्ट में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस के तहत मुकदमा पंजीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। परन्तु यह साक्ष्य का विषय है तथा जमानत के स्तर पर इसका कोई महत्व नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण पर लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है।

10. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **संजय कुमार व शिव कुमार** की ओर से मु०अ०सं०–**432/2025** अंतर्गत **धारा–109, 333, 352, 351(3), बी.एन.एस.** थाना–**अहरौला** जनपद **आजमगढ़** के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र तदनुसार निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांक–06.02.2026</u>

(अजय कुमार शाही)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार नि० अधि०)
विशेष न्यायालय संख्या–01, आजमगढ़।
जे.ओ. कोड–UP6082